राजस्थान सरकार
नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान

क्रमांक :प.17(1)नविवि/अभियान/2021/पार्ट–1 जयपुर, दिनांक : 16 JUN 2023

आदेश

विभागीय आदेश दिनांक 01.7.2022 के मध्यनजर अभियान अवधि में राजकीय भूमि पर बसी हुई कॉलोनियों के भूखण्डों की दरें निम्न प्रकार निर्धारित की जाती है:–

क्र. सं.	प्रयोजन	दरे
1	300 वर्गमीटर तक आवासीय	आवासीय आरक्षित दर या आवासीय डीएलसी दर जो भी कम हो, का 10 प्रतिशत
2.	आवासीय 300 वर्गमीटर से अधिक क्षेत्रफल हेतु	आवासीय आरक्षित दर या आवासीय डीएलसी दर जो भी कम हो, का 25 प्रतिशत

विभागीय आदेश क्रमांक भूमि एफ.7(ड़)( )डीएलबी/23/4142 दिनांक 15.05.2023 को अतिक्रमित करते हुए नगर पालिका अधिनियम की धारा 69–ए एवं अन्य समानान्तर प्रावधानों के अंतर्गत स्वामित्व से अधिक अतिरिक्त भूमि, अधिकतम 300 वर्गमीटर तक, स्थानीय स्तर पर एवं 300 वर्गमीटर से अधिक राज्य सरकार की स्वीकृति उपरान्त उपरोक्त दरों से राशि लेकर सम्पूर्ण क्षेत्र का फ्री–होल्ड पट्टा दिया जा सकेगा ।

राज्यपाल की आज्ञा से

(हृदेश कुमार शर्मा)
निदेशक एवं विशिष्ट सचिव

(संचिता बिश्नोई)
संयुक्त शासन सचिव–प्रथम

क्रमांक प.17(1)नविवि/अभियान/2021/पार्ट–1 जयपुर, दिनांक :

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास विभाग, जयपुर।
2. विशिष्ठ सहायक, सलाहकार, नगरीय विकास, स्वायत्त शासन एवं आवासन विभाग, जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
5. निदेशक एवं विशिष्ट सचिव, निदेशालय स्थानीय निकाय, जयपुर।
6. श्री एच.एस. संचेती, सलाहकार, नगर नियोजन विभाग जयपुर।
7. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर।
8. आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
9. आयुक्त, जयपुर/जोधपुर/अजमेर विकास प्राधिकरण।
10. कार्यकारी अधिकारी, रूडसिको, जयपुर।
11. संयोजक, श्री राजेश तुलारा, अति. मुख्य नगर नियोजक, नगर नियोजन विभाग, जयपुर।
12. प्रोजेक्ट अधिकारी, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
13 प्रोजेक्ट अधिकारी, जयपुर/जोधपुर/अजमेर विकास प्राधिकरण।
14. सुरक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव–प्रथम
16/6/23

D/PSKS2021/Order